न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–87 / 2024

मो0 ईरफान

बनाम्

मो0 तनवीर आलम

—: आदेश :—

10.01.25

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी मो0 इरफान पिता–अयुब जैदी, सा0+थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–14 / 2024 में दिनांक 24.06.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल आवेदन के आलोक में सुनवाई के बिन्दु पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष रखा गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बालूमाथ के खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–2162, रकबा–0.10 एकड़ भूमि का विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी, बालूमाथ के समक्ष दाखिल खारिज वाद सं0–1089 / 2023–24 यह कहकर दाखिल किया गया था कि उक्त भूमि रजिया सुल्तान से दिनांक 30.09.2019 को पंजीकृत विक्री विलेख से क्रय किया गया है, जिसे अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा सब जज–I के समक्ष इस भूमि का Original (Title) का मामला लंबित रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। अंचल अधिकारी, बालूमाथ के आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में अपील वाद संख्या–14 / 2024 दाखिल किया गया, जिसमें एक पक्षीय आदेश के माध्यम से दिनांक 04.06.2024 को अंचल अधिकारी, बालूमाथ के आदेश को निरस्त करते हुए अपील वाद को स्वीकृत कर लिया गया, जो कानून के साथ–साथ मामले के तथ्यों के अनुरूप नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि शमशाद जैदी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अपनी पत्नी रजिया

सुल्तान के साथ उक्त भूमि को बेचा गया है। यह दावा पूरी तरह से झूठा है, बल्कि शमशाद जैदी द्वारा उक्त भूमि के हड़पने के उद्देश्य से बिना प्रतिफल राशि के अपनी पत्नी को भूमि हस्तांतरण किया है। सब जज–I, लातेहार के न्यायालय में उक्त विक्री विलेख को रद्द करने के लिए Original (Title) No.-12/2024 दायर किया गया है, जो प्रतिवादी के उपस्थिति के लिए लंबित है। वादग्रस्त भूमि का आजतक कोई पारिवारिक समझौता (बटवारा विलेख) तैयार नहीं किया गया है। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कोमर के खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–2162, रकबा–0.10 एकड़ भूमि प्रतिवादी द्वारा निबंधित केवाला सं0–3168 दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से विक्रेता रजिया सुल्तान पति–मो0 शमशाद जैदी से खरीद किया गया है। खतियानी रैयत हनीफ मियां के दोनों पुत्र अताउल्लाह एवं आयुब जैदी अपने पैतृक सम्पत्ति को आपसी बटवारा के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि पर दखल कब्जा में आये। अयुब जैदी के पहली पत्नी से शमशाद जैदी एवं अली जैदी तथा दूसरी पत्नी से मो0 इरशाद एवं मो0 इरफान चार पुत्र है। चारों पुत्रों के बीच आयुब जैदी द्वारा पारिवारिक समझौता के तहत् ग्राम–बालूमाथ एवं कोमर की सम्पत्ति शमशाद जैदी एवं अली जैदी को तथा 15 लाख रूपये और ग्राम–बुण्डू, जिला–रांची की सम्पत्ति मो0 इरशाद एवं मो0 इरफान को दिया गया। उक्त आधार पर मौजा–कोमर के खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–2162 रकबा–0.30 एकड़ भूमि निबंधित केवाला संख्या–1872 दिनांक 03.10.2019 से रजिया सुल्तान द्वारा विक्रेता शमशाद जैदी पिता–आयुब जैदी से क्रय किया गया, जिसका नामान्तरण वाद संख्या–485/2019–20 से भूमि का दाखिल–खारिज कराकर प्रतिवर्ष मालगुजारी अदा करने लगी। रजिया सुल्तान के चल रहे डिमाण्ड के विरूद्ध आवेदक द्वारा कभी भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब रजिया सुल्तान के द्वारा जमीन बिक्री किया गया, तो आवेदक के द्वारा विवाद किया गया है। सिविल जज, सिनियर डिविजन–III लातेहार के न्यायालय में मूल वाद संख्या–12/2024 दाखिल किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन

है। उक्त आलोक में आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षों के लिखित तथा मौखिक तर्कों को सुना एवं स्मरण में रखा। रजीया सुल्तान पति मो0 शमशाद द्वारा खाता नं0–14, प्लॉट नं0–2162, रकबा–0.10 एकड़ भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से मो0 तनवीर आलम पिता–मो0 शफीक आलम के साथ बिक्री किया गया है। उक्त भूमि के विक्री विलेख की वैधता एवं हक–हकियत का मामला सब जज–I लातेहार के न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार यह मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है, जिसका निष्पादन इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराये। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by UTKARSH GUPTA
Date: 2025.05.14 15:31:27 +05:30
Location: 192.168.137.1